उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या-20/2019/1328/80-1-2019-600(20)/1994
लखनऊ : दिनांक- 25 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17 के खण्ड (तीन) के उपखण्ड (ख) के द्वितीय परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देतीं है:-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (क्रशर इकाईयॉ गुड़, खाण्डसारी) (मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (क्रशर इकाईयॉ गुड़, खाण्डसारी) (मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2019 कहा जायेगा।

(2) यह आदेश चीनी वर्ष 2019-2020 के प्रारम्भ होने के दिनांक से अर्थात 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त होगा और 30 सितम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगा ।

परिभाषाये

2- इस आदेश में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964'' से है;

(ख) ''कृषि वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के एक जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ग) ''क्रशर इकाई'' का तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित एक या उससे अधिक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का उत्पादन या प्रसंस्करण करने वाली और मण्डी समिति द्वारा इस रूप में लाईसेन्स प्राप्त किसी इकाई से है;

(घ) ''चीनी वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ङ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस आदेश से अनुलग्न किसी प्रपत्र से है;

3- इस आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यापारी, जिसके पास क्रशर इकाई के रूप में, मण्डी समिति का विधिमान्य लाईसेन्स हो, मण्डी शुल्क की ऐसी धनराशि, जो उसके प्रति चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 तक के लिए देय हो, के बदले में एकमुश्त धनराशि का भुगतान करने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है;

परन्तु यह कि यह योजना किसी मण्डी समिति द्वारा वहॉ लागू की जायेगी जहॉ मण्डी क्षेत्र में स्थित कम से कम तीस प्रतिशत इकाईयॉ उक्त योजना के लिए विकल्प दें।

4- क्रशर इकाई के रूप में लाईसेन्स प्राप्त किसी व्यापारी, जो एकमुश्त धनराशि के भुगतान का विकल्प दे, को इस आदेश के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर मण्डी समिति को प्रपत्र संख्या-1 में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- जैसे ही खण्ड-4 में उल्लिखित आवेदन प्राप्त हो वैसे ही मण्डी समिति को इसमें यथा विहत रीति से देय मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर की एकमुश्त धनराशि का निर्धारण करना होगा।

6- क्रय-विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार पर देय मण्डी शुल्क के बदले में किसी क्रशर इकाई से वसूल की जाने वाली एकमुश्त धनराशि निम्नवत होगी:-

क्रम सं0	क्रेशर इकाई (गुड़ खाण्डसारी, आदि) का आकार एवं प्रकार	इकाई का प्रकार	चीनी वर्ष 2019-2020 के लिए प्रशमन धनराशि (रू0 में)		
			मण्डी शुल्क	विकास उपकर (सेस)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	346340	86580	432920
2-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 25.5×30.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	474680	118670	593350
3-	25.5×30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 28×35.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	704900	176220	881120
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	1287560	321800	1609360
4-	28.00×35.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	1397580	349400	1746980
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	1992470	498120	2490590
5-	33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित	3960500	990130	4950630

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(बिना टरबाइन)			
क्रम सं0	क्रेशर इकाई (गुड़ खाण्डसारी, आदि) का आकार एवं प्रकार	इकाई का प्रकार	चीनी वर्ष 2020-2021 के लिए प्रशमन धनराशि (रू0 में)		
			मण्डी शुल्क	विकास उपकर (सेस)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	380970	95240	476210
2-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 25.5×30.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	522150	130540	652690
3-	25.5×30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 28×35.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	775390	193850	969240
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	1416320	354080	1770400
4-	28×35.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	1537340	384340	1921680
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	2191720	547930	2739650
5-	33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	4356550	1089140	5445690

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	क्रेशर इकाई (गुड़ खाण्डसारी, आदि) का आकार प्रकार	इकाई का प्रकार	चीनी वर्ष 2021-2022 के लिए प्रशमन धनराशि (रू0 में)		
			मण्डी शुल्क	विकास उपकर (सेस)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(ख) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	419070	104770	523840
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			
2-	20×25.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 25.5×30.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	574370	143590	717960
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			
3-	25.5×30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 28×35.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	852930	213220	1066150
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	1557950	389480	1947330
4-	28×35.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	1691080	422770	2113830
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	2410890	602720	3013600
5-	33.00×46.00 सेन्टीमीटर से अधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	4792200	1198090	5990290
		(ख) हाइड्रोलिक/ नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)			

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- यदि क्रशर इकाई टरबाइन युक्त है तो चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के लिए प्रत्येक आकार हेतु उल्लिखित प्रशमन धनराशि उपरोक्त स्तम्भ सं0-4, 5 एवं 6 में उल्लिखित प्रशमन धनराशि से 10 प्रतिशत अधिक होगी।

8- यदि क्रशर इकाई के रूप में लाइसेन्स प्राप्त किसी व्यापारी ने चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के सम्बन्ध में मण्डी शुल्क की किसी धनरशि का भुगतान कर दिया हो और मण्डी शुल्क जो उसके द्वारा संदेय हो, के बदले में वह एकमुश्त धनराशि का विकल्प देता है तो भुगतान की गयी मण्डी शुल्क की धनराशि, इस अधिसूचना के अनुसार परिनिर्धारित एकमुश्त धनराशि से घटा दी जायेगी।

9- घटाये जाने के पश्चात, यदि कोई धनराशि अधिशेष रह जाती है तो उसका समायोजन अगले वर्ष में किया जायेगा, यदि इसके पश्चात भी कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो इसका समायोजन आगामी वर्षो में किया जायेगा। मण्डी समिति द्वारा उसे वापस नहीं दिया जायेगा।

10- क्रशर इकाई के अनुमानित उत्पादन के आधार पर प्रतिभूति पत्र पर मुद्रित गेटपास पुस्तिका, इकाई पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। यदि मण्डी समिति द्वारा जॉच में गेटपास पुस्तिका का कोई दुरूपयोग किया जाना पाया जाता है तो पुस्तिका को जब्त कर लिया जायेगा और व्यापारी योजना के अधीन लाभों से वंचित हो जायेगा और इकाई के विरूद्ध वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

11- योजना के विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात् चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के अन्त तक एकमुश्त धनराशि के अतिरिक्त अन्य कोई मण्डी शुल्क संदेय नहीं होगा। यदि कोई व्यापारी अपनी क्रशर इकाई द्वारा उत्पादित या प्रसंस्कृत मात्रा के अतिरिक्त अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय विक्रय करता है तो उसे उस मात्रा के प्रत्येक क्रय विक्रय के सौदे पर मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर (सेस) का भुगतान प्रचलित दर पर करना होगा। यह धनराशि एकमुश्त धनराशि के अतिरिक्त होगी।

12- (1) ऐसे व्यापारी जो गेटपास पुस्तिका का विकल्प देता है, को प्रत्येक सप्ताह गेटपासों की कार्यालय प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी। वर्ष के अन्त में मण्डी समिति यह अवधारित करेगी कि व्यापारी ने अपनी इकाई की उत्पादन क्षमता के अनुरूप ही गेट पास जारी किया है। इस प्रयोजनाथ, क्रशर इकाई को भण्डारण की मासिक स्थिति, सम्बन्धित समिति को प्रत्येक माह प्रस्तुत करनी होगी।

(2) पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ, मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए व्यापारीगण बाध्य होगें। मण्डी समिति किसी उपयुक्त समय पर क्रशर का निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत होगी।

13- (एक) यदि किसी एकमुश्त धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात प्रख्यापक आदेश द्वारा उसका विनिश्चय किया जायेगा।

(दो) मण्डी समिति के विनिश्चय के विरूद्व 30 दिन के भीतर या ऐसे समय के भीतर जिसे समुचित मामलों में निदेशक, द्वारा बढाया जा सकता है। अधिनियम की घारा 32 के अधीन पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14- इस योजना का विकल्प देने वाला व्यापारी अपेक्षित एकमुश्त धनराशि का भुगतान वर्ष में किश्तो में करेगा, प्रथम किश्त आवेदन के समय जमा की जायेगी तथा द्वितीय किश्त 30 दिन के अन्दर जमा कर दी जायेगी।

15- यदि कोई एकमुश्त धनराशि देय हो जाने के पश्चात असंदत्त रह जाती है तो इसकी वसूली, अधिनियम की धारा 20 के अनुसार की जायेगी।

अनुसूची

(खण्ड-2(घ) देखिये)

विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद:-

1- गुड
2- खाण्डसारी
3- राब
4- शक्कर
5- ताड गुड (जगरी)

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-1

(खण्ड 4 देखिये)

सेवा में,

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति..................

जिला..

महोदय,

मेरे पास विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद गुड़/खाण्डसारी/राब/शक्कर/ताड़ गुड़ (जगरी) के उत्पादन/प्रसंस्करण के लिए क्रेशर इकाई के लिए कृषि उत्पादन मण्डी समिति...........................जिला.............................का विधिमान्य लाइसेन्स है। लाईसेन्स का विवरण निम्न प्रकार है:-

1- लाईसेन्स प्राप्त व्यापारी का
नाम व पता ....
....

2- (क) लाईसेन्स संख्या ....
(ख) लाईसेन्स जारी किये जाने/नवीकरण का
दिनांक ....
(ग) लाईसेन्स की समाप्ति का दिनांक

3- चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 में क्रेशर इकाई
का आकार स्वरूप और उत्पादन क्षमता ....
....
....

4- स्थान, जहां क्रेशर इकाई स्थित है:-
ग्राम, नगर ....
तहसील ....
जिला ....

मैं एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केशर इकाइयॉ, गुड़ खाण्डसारी)(मण्डी शुल्क का प्रशमन करना) आदेश 2019 के अनुसार चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के संबंध में संदेय मण्डी शुल्क के बदले में एकमुश्त धनराशि में मण्डी शुल्क के भुगतान का विकल्प देता हूँ।

अत- यह प्रार्थना है, कि पूर्वोक्त चीनी वर्ष के लिए उक्त आदेश के उपबंधों के अनुसार, एकमुश्त भुगतान की जाने वाली मण्डी शुल्क की धनराशि की गणना करने और स्वीकार करने की कृपा करें। गन्ना विभाग द्वारा जारी विधिमान्य लाईसेन्स की प्रति भी इसके साथ संलग्न की जाती है।

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>सत्यापन</u>

मैं ....पूर्वोक्त क्रशर इकाई का स्वामी/भागीदार एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः- 20/**2019/ 1328(1)/80-1-2019-600(20)/1994,** तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 25 अक्टूबर, **2019** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-**4** के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ । कृपया उक्त गजट की **50** प्रतियाँ शासन को भेजने का कष्ट करें।

2. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ**0**प्र**0**, लखनऊ।

3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

समर बहादुर
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।